पश्चिम बंगाल विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2003

पश्चिम बंगाल राज्य में विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकास, प्रचालन, अनुरक्षण, प्रबंधन, प्रशासन एवं विनियमन को सुगम बनाने के लिए अधिनियम ताकि आर्थिक सुधारों की गति तेज की जा सके और ऐसे विशेष आर्थिक क्षेत्र में उद्योगों के त्वरित एवं क्रमबद्ध विकास, प्रगति एवं प्रचालन को बढ़ावा दिया जा सके और इससे संबद्ध या इससे आनुषंगिक मामलों के लिए प्रावधान किया जा सके।

जबकि पश्चिम बंगाल राज्य में विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकास, प्रचालन, अनुरक्षण, प्रबंधन, प्रशासन एवं विनियमन को सुगम बनाना समीचीन है ताकि आर्थिक सुधारों की गति तेज की जा सके और ऐसे विशेष आर्थिक क्षेत्र में उद्योगों के त्वरित एवं क्रमबद्ध विकास, प्रगति एवं प्रचालन को बढ़ावा दिया जा सके और इससे संबद्ध या इससे आनुषंगिक मामलों के लिए प्रावधान किया जा सके;

इसके द्वारा पश्चिम बंगाल विधान सभा द्वारा भारत गणराज्य के 54वें वर्ष में इसे निम्नानुसार अधिनियमित किया जाता है :

अध्याय-1
प्रारंभिक

संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ :

1. (1) इस अधिनियम को पश्चिम बंगाल विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2003 कहा जाएगा।

(2) यह संपूर्ण पश्चिम बंगाल पर लागू होगा।

(3) यह ऐसी तिथि को लागू होगा जो सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार निर्धारित कर सकती है तथा विभिन्न क्षेत्रों के लिए इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के लिए विभिन्न तिथियां निर्धारित की जा सकती है।

परिभाषाएं :

2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ के तहत अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "सुविधाओं" का अभिप्राय सड़क, जलापूर्ति, स्ट्रीट लाइट, विद्युत आपूर्ति, सीवरेज, ड्रेनेज, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, शिक्षा, परिवहन, अग्निशमन सेवा, सार्वजनिक पार्क, आवासीय सेवा, क्लब, बाजार, दुकान तथा आउटलेट सहित सभी बुनियादी एवं आवश्यक सेवाएं और औद्योगिक तथा नगरपालिका अपशिष्ट का संग्रहण, शोधन एवं निस्तारण से है, तथा इसमें ऐसी अन्य सुविधाएं शामिल हैं

जिसे अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ सुविधा के रूप में निर्दिष्ट कर सकती है;

(ख) "प्राधिकरण'' का अभिप्राय धारा 9 के तहत किसी विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए गठित विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण से है;

(ग) "केंद्र सरकार'' का अभिप्राय भारत सरकार से है;

(घ) "विकासक'' का अभिप्राय धारा 7 में निर्धारित ढंग से राज्य सरकार द्वारा चयनित व्यक्ति से है;

(ङ) "विकास आयुक्त'' का अभिप्राय धारा 4 में उल्लेख के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा विकास आयुक्त के रूप में नियुक्त अधिकारी से है जिसे ऐसी शक्तियां प्रदान की गई हैं और ऐसे कार्य सौंपे गए हैं;

(च) इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ "घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र'' का अभिप्राय किसी विशेष आर्थिक क्षेत्र के क्षेत्र को छोड़कर भारत संघ के भौगोलिक क्षेत्र से है;

(छ) "अवसंरचना'' में विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकास के लिए औद्योगिक, वाणिज्यिक या सामाजिक अवसंरचना शामिल है;

(ज) "अधिसूचना'' का अभिप्राय सरकारी राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना से है;

(झ) "निर्धारित'' का अभिप्राय इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित से है;

(ञ) "विनियम'' का अभिप्राय इस अधिनियम के तहत बनाए गए विनियम से है;

(ट) "अनुसूची'' का अभिप्राय इस अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची से है;

(ठ) "विशेष आर्थिक क्षेत्र'' का अभिप्राय विशेष रूप से निर्धारित ड्यूटी फ्री एंक्लेव से है, मानो कि यह व्यापार प्रचालनों, ड्यूटी एवं टैरिफ के प्रयोजनार्थ कोई विदेशी क्षेत्र हो, जिसे केंद्र सरकार द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र के रूप में घोषित एवं सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया गया है;

(ड) "राज्य सरकार'' का अभिप्राय पश्चिम बंगाल सरकार से है;

(ढ) "यूनिट'' का अभिप्राय किसी उद्यम या उसके भाग से है जो विकास आयुक्त द्वारा अनुमोदित व्यवसाय संचालित करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र के अंदर स्थान का अधिभोक्ता है;

अध्याय-2
विशेष आर्थिक क्षेत्र की पहचान

3. **(1)** राज्य सरकार विशेष आर्थिक क्षेत्र के रूप में किसी क्षेत्र या क्षेत्रों की पहचान कर सकती है तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र के रूप में ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों के विकास के लिए ऐसे ढंग से प्रस्ताव आमंत्रित या स्वीकार कर सकती है जो निर्धारित किया जा सकता है।

(2) विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार को उसके अनुमोदन के लिए अग्रेषित किया जाएगा।

(3) उपधारा (1) और (2) के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव के बगैर इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व विशेष आर्थिक क्षेत्र के रूप में चिन्हित किसी क्षेत्र या क्षेत्रों को इस धारा के तहत विशेष आर्थिक क्षेत्र के रूप में विधिवत रूप से चिन्हित क्षेत्र के रूप में समझा जाएगा।

अध्याय-3
विकास आयुक्त की शक्तियां एवं कार्य

4. **(1)** इस अधिनियम के प्रावधानों तथा इसके तहत बनाए गए नियमों के अधीन विकास आयुक्त को विशेष आर्थिक क्षेत्र में विकासक तथा यूनिटों की गतिविधियों का सर्वेक्षण करने, निगरानी करने एवं समन्वय करने की शक्ति प्रत्यायोजित की जाएगी तथा ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने एवं ऐसे कार्यों का निर्वहन करने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी जो ऐसे विशेष आर्थिक क्षेत्र के संबंध में इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत या द्वारा प्रदान किए जा सकते हैं।

(2) उस समय लागू किसी अन्य कानून में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी विकास आयुक्त निम्नलिखित के अधिकृत होगा, अर्थात:

(क) विशेष आर्थिक क्षेत्र में किसी यूनिट की स्थापना एवं प्रचालन के लिए अपेक्षित अनुमोदन, स्वीकृति, सहमति, अनुज्ञप्ति, लाइसेंस या अन्य प्राधिकार प्रदान करने या जारी करने के लिए ऐसे ढंग से एकल एजेंसी के रूप में काम करना जो निर्धारित किया जा सकता है;

(ख) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत किसी औद्योगिक विवाद की मध्यस्थता करने तथा उसके निस्तारण में सहायता करने के लिए सामंजस्य अधिकारी के रूप में काम करना;

(ग) श्रम विभाग में राज्य सरकार के पर्यवेक्षण के अधीन उस समय लागू श्रम कानूनों को ऐसे ढंग से लागू करना जो निर्धारित किया जा सकता है;

(3) विशेष रूप से तथा पिछले प्रावधानों की सामान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव के बगैर विकास आयुक्त निम्नलिखित कार्य करेगा :

(क) उसके द्वारा प्रदान किए गए या मंजूर किए गए अनुमोदन, स्वीकृति, सहमति, अनुज्ञप्ति, लाइसेंस तथा किसी अन्य प्राधिकार की शर्तों एवं नियमों के अनुपालन का पर्यवेक्षण एवं निगरानी करना;

(ख) उसके द्वारा प्रदान किए गए या मंजूर किए गए अनुमोदन, स्वीकृति, सहमति, अनुज्ञप्ति, लाइसेंस तथा किसी अन्य प्राधिकार की शर्तों एवं नियमों के अनुपालन के पर्यवेक्षण एवं निगरानी के लिए अपेक्षित कोई सूचना मंगाना;

(ग) उसके द्वारा प्रदान किए गए या मंजूर किए गए अनुमोदन, स्वीकृति, सहमति, अनुज्ञप्ति, लाइसेंस तथा किसी अन्य प्राधिकार की शर्तों एवं नियमों के किसी गैर अनुपालन के लिए उपयुक्त कदम उठाना;

(घ) केंद्र सरकार द्वारा समय – समय पर घोषित निर्यात – आयात नीति के तहत लाभ प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ किसी यूनिट की सिफारिश करना और प्रमाणित करना;

(ङ) ऐसे अन्य कार्य करना जो अभिसूचना द्वारा राज्य सरकार निर्धारित कर सकती है।

विकास आयुक्त की सहायता के लिए अधिकारियों का नामांकन

5. (1) अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार इस अधिनियम के तहत या द्वारा उसे प्रदान की गई शक्तियों या कार्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए विकास आयुक्त की मदद के लिए ऐसे अधिकारी नामित कर सकती है जिसे यह उपयुक्त समझे।

(2) उपधारा (1) के तहत नामित किए जाने वाले अधिकारी राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों से अधिकारी होंगे, अर्थात;

(क) वित्त विभाग

(ख) वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

(ग) श्रम विभाग

(घ) नगर पालिका कार्य विभाग

(ङ) कुटीर एवं लघु उद्योग विभाग

(च) आवास विभाग

(छ) विद्युत विभाग

(ज) पर्यावरण विभाग

(झ) शहरी विकास विभाग

<u>स्पष्टीकरण</u> : इस उपधारा के प्रयोजनार्थ विभाग शब्द में ऐसे विभागों के अधीन निदेशालय, यदि कोई हो, शामिल होंगे।

(3) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विकास आयुक्त की सहायता के प्रयोजनार्थ उपधारा (2) में निर्दिष्ट विभागों से भिन्न विभागों से ऐसे अधिकारियों को नामित कर सकती है जिसे वह उचित समझे।

शक्तियों का प्रत्यायोजन

6. राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसी शर्तों, यदि कोई हो, जो अधिसूचना में निर्धारित की जा सकती हैं, के अधीन इस अधिनियम के तहत कोई कार्य या शक्ति प्रदान कर सकती है जिसे राज्य सरकार विकास आयुक्त द्वारा निष्पादित करने, प्रयुक्त करने या निर्वहन करने के लिए निर्धारित कर सकती है तथा जहां ऐसी कोई शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है, वह ऐसी शक्तियों एवं कार्यों का ऐसे ढंग से तथा ऐसी सीमा तक निष्पादन, प्रयोग या निर्वहन करेगा जो इस अधिनियम द्वारा, न कि शक्तियों के प्रत्यायोजन के रूप में सीधे उसे प्रदान की गई हैं।

अध्याय-4
विकासक

विकासक का चयन

7. (1) राज्य सरकार विशेष आर्थिक क्षेत्र के रूप में चिन्हित क्षेत्र या क्षेत्रों के विकास के लिए ऐसे ढंग से तथा ऐसी शर्तों के अधीन विकासक का चयन करेगी जो निर्धारित हो सकती हैं।

(2) उपधारा (1) के पिछले प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव के बगैर इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व चयनित किसी विकासक को इस अधिनियम के तहत वैध ढंग से चयनित विकासक समझा जाएगा।

विकासक की शक्तियां एवं कार्य

8. (1) इस अधिनियम के प्रावधानों तथा इसके तहत बनाए गए नियमों के अधीन विकासक एसईजेड के नियोजित विकास का सुनिश्चय करेगा तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना, प्रचालन, अनुरक्षण एवं प्रबंधन के लिए अवसंरचना एवं सुविधाएं प्रदान करेगा;

(2) इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन विकासक की शक्तियां निम्नलिखित होंगी:-

(क) अपने स्वयं के स्वत्व के अधीन पट्टा या बिक्री या अन्यथा के माध्यम से वाणिज्यिक, औद्योगिक, आवासीय या अन्य प्रयोजनों के लिए भूखंडों, भवनों या स्थापनाओं का आवंटन एवं अंतरण करना;

(ख) भूमि जो विशेष आर्थिक क्षेत्र के रूप में विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित है, के संबंध में, भूमि खरीदना या स्वतंत्र रूप से कानूनी अधिकार एवं स्वामित्व का अधिग्रहण करना;

(ग) प्राधिकरण का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद विशेष आर्थिक क्षेत्र की यूनिट को अवसंरचना या सुविधाएं प्रदान करने के लिए सेवा प्रभार लगाना;

(घ) विशेष आर्थिक क्षेत्र के अंदर सेवाएं प्रदान करने या प्रभार वसूल करने के लिए किसी व्यक्ति को अधिकृत करना;

(3) उपधारा (1) और (2) के पिछले प्रावधानों की सामान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव के बगैर विकासक निम्नलिखित कार्य करेगा –

(क) प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों के अनुकरण में या राज्य सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकास के लिए योजना तैयार करना;

(ख) ऐसी योजना के कार्यान्वयन के लिए अवसंरचना एवं सुविधाओं का विकास करना, निर्माण करना, संस्थापित करना, प्रचालित करना, प्रबंधन एवं अनुरक्षण करना;

(ग) विशेष आर्थिक क्षेत्र या उसके किसी भाग की सीमाएं निर्धारित करना;

(घ) ऐसे अन्य कार्य करना निर्धारित किए जा सकते हैं।

अध्याय-5
विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण

विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन

9. (1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम तथा इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत उसे सौंपे गए कार्यों तथा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्रत्येक विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण का ऐसे ढंग से गठन कर सकती है जिसे वह उपयुक्त एवं उचित समझे।

(2) प्राधिकरण निगमित निकाय होगा जो उपधारा (1) के तहत नाम से अधिसूचित होगा, जिसमें शाश्वत उत्तराधिकार तथा एक सामान्य मुहर होगी और उक्त नाम से उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है या उक्त नाम से वह मुकदमा कर सकता है।

प्राधिकरण के सदस्य

10. (1) प्रत्येक प्राधिकरण में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे, अर्थात :

(क) विशेष आर्थिक क्षेत्र का विकास आयुक्त;

(ख) विकासक द्वारा नामित किए जाने वाले संबंधित विशेष आर्थिक क्षेत्र के दो सदस्य;

(ग) ऐसे विशेष आर्थिक क्षेत्र के अंदर यूनिट या यूनिटों द्वारा नामित किया जाने वाला एक सदस्य;

(घ) राज्य सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले दो सदस्य;

(2) विशेष आर्थिक क्षेत्र का विकास आयुक्त इस प्राधिकरण का अध्यक्ष होगा।

(3) प्राधिकरण के सदस्यों का कार्यकाल तथा इसकी रिक्तियों को भरने का ढंग ऐसा होगा जो निर्धारित किया जा सकता है।

अयोग्यताएं

11. कोई व्यक्ति प्राधिकरण के सदस्य के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य होगा, यदि

(क) किसी अपराध के लिए उसे दोषी ठहराया गया है या कारावास की सजा हुई है जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक पतन शामिल है; या

(ख) वह मुक्त न किया गया दिवालिया है; या

(ग) वह दिमागी तौर पर अस्वस्थ है तथा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा उसे इस रूप में घोषित किया गया है; या उसे केंद्र सरकार या राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित या स्वामित्व वाले किसी निगमित निकाय की सेवा से हटाया गया है या बर्खास्त किया गया है; या

(घ) राज्य सरकार की राय में उसका प्राधिकरण में ऐसा वित्तीय या अन्य हित है जिससे सदस्य के रूप में उसके कार्यों का निर्वहन प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकता है।

सदस्य को हटाना

12. राज्य सरकार प्राधिकरण के किसी सदस्य को हटा सकती है जो –

(क) राज्य सरकार की राय में पर्याप्त अपवाद के बगैर प्राधिकरण की 4 लगातार बैठकों से अनुपस्थित होगा;

(ख) राज्य सरकार की राय में सदस्य के रूप में अपने पद का इस तरह दुरूपयोग किया है कि प्राधिकरण के सदस्य के रूप में उसका बना रहना प्राधिकरण के हित के प्रतिकूल होगा।

तथ्यों एवं कार्यवाहियों की वैधता

13. प्राधिकरण के सदस्यों में कोई रिक्ति या उसकी संरचना में कोई दोष मौजूद होने की वजह से प्राधिकरण का कोई कार्य या कार्यवाही अमान्य नहीं होगी।

प्राधिकरण की बैठकें

14. (1) ऐसे समय एवं स्थान पर मांग में कम से कम एक साल प्राधिकरण की बैठक होगी तथा अपनी बैठकों में कार्य के निष्पादन के संबंध में यह ऐसे नियमों का पालन करेगा जो अधिसूचना द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं।

(2) प्राधिकरण की ऐसी किसी बैठक में आवश्यक कोरम तीन होगा।

(3) प्राधिकरण की बैठक में सभी प्रश्नों का निर्णय उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से होगा तथा मतों में समानता होने की स्थिति में अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता करने वाले किसी अन्य व्यक्ति के पास दूसरा या निर्णायक मत होगा।

प्राधिकरण के अधिकारी एवं कर्मचारी

15. (1) प्राधिकरण अपने कार्यों के दक्ष निष्पादन के लिए ऐसे अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकता है जिसे यह उपयुक्त समझे।

(2) ऐसे अधिकारियों एवं कर्मचारियों को देय वेतन एवं भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें एवं नियम ऐसे होंगे जो विनियमों द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं।

प्राधिकरण की शक्तियां एवं कार्य

16. (1) यथास्थिति केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा समय – समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसरण में विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकास एवं प्रबंधन का सुनिश्चय करना प्राधिकरण का दायित्व होगा।

(2) उस समय लागू किसी अन्य कानून में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी प्राधिकरण के पास निम्नलिखित शक्ति होगी –

(क) प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई सुविधाओं या अवसंरचना के लिए कर लगाना या शुल्क अथवा सेवा प्रभार लगाना;

(ख) विकासक द्वारा जिस हद तक ऐसी सुविधाएं या अवसंरचना प्रदान की जाती है, उस हद तक कर, शुल्क या सेवा प्रभारों को वसूल करने के लिए किसी व्यक्ति को अधिकृत करना;

(ग) विकासक द्वारा जिस हद तक ऐसी सुविधाएं या अवसंरचना प्रदान की जाती है, उस हद तक सेवा प्रभार वसूल करने के लिए विकासक को अधिकृत करना;

(घ) करार द्वारा कोई भूमि खरीदना या पट्टे पर लेना या काश्तकारी के किसी अन्य रूप में लेना तथा उस पर ऐसे भवन खड़े करना जो व्यवसाय के संचालन के लिए आवश्यक हो सकते हैं;

(ङ) ऐसी संविदाएं करना या निष्पादित करना जो इस अधिनियम के तहत उसके कार्यों का निर्वहन करने और उसकी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए आवश्यक हो सकती हैं;

(च) माल के भंडारण, कंसाइंमेंट एवं प्रदायगी के लिए सुविधाएं प्रदान करना;

(छ) प्राधिकरण के कार्य एवं व्यवसाय को सुगम बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से सभी अन्य कार्य करना।

(3) विशेष रूप से तथा उपधारा (1) और (2) के पिछले प्रावधानों की सामान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव के बगैर प्राधिकरण निम्नलिखित कार्य करेगा;

(क) विशेष आर्थिक क्षेत्र के अंदर परियोजनाओं या यूनिटों के अबाध कार्यान्वयन के लिए अन्य विभागों एवं एजेंसियों के साथ समन्वय का सुनिश्चय करना;

(ख) पश्चिम बंगाल नगर निगम अधिनियम, 1993 तथा इसके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के तहत नगरपालिका के कार्यों का निर्वहन करना;

(ग) प्राधिकरण के भौगोलिक क्षेत्राधिकार के अंदर सेवाएं प्रदान करने वाली एजेंसियों तथा यूनिटों के बीच प्रशासनिक स्वरूप के विवादों का समाधान करना;

(घ) ऐसे अन्य कार्य करना जो इस अधिनियम के तहत या द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं या उसके पूरक, आनुषंगिक या उसे सौंपे गए किसी कार्य के परिणामी हो सकते हैं।

प्राधिकरण की निधि

17. (1) विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण निधि नामक एक निधि होगी (इसके बाद यहां आगे इसे निधि कहा गया है) जो इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ न्यास में प्राधिकरण द्वारा धारित की जाएगी तथा इस अधिनियम के तहत वसूले गए सभी धन तथा प्राधिकरण द्वारा अन्यथा प्राप्त किए गए सभी धन उसमें जमा किए जाएंगे।

(2) राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से प्राधिकरण इस अधिनियम के तहत अपने कार्यों के निर्वहन के लिए खुले बाजार से या अन्यथा धन उधार ले सकता है।

निधि में प्राप्ति तथा निधि से भुगतान

18. प्राधिकरण की सभी प्राप्तियों को निधि में अग्रनीत किया जाएगा तथा प्राधिकरण द्वारा निधि से सभी भुगतान किए जाएंगे।

निधि से व्यय

19. इस अधिनियम द्वारा या इसके तहत अधिकृत उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्राधिकरण के पास ऐसी रकम खर्च करने की शक्ति होगी जिसे यह उपयुक्त समझे तथा ऐसी रकम को प्राधिकरण की निधि से देय व्यय के रूप में समझा जाएगा।

लेखाओं का अनुरक्षण

20. (1) प्राधिकरण ऐसे रूप में तथा ऐसे ढंग से जो निर्धारित किया जा सकता है, लेखाओं की समुचित बहियां तैयार कराएगा।

(2) राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ नियुक्त लेखा परीक्षक द्वारा ऐसे समय पर तथा ऐसे ढंग से जो निर्धारित किया जा सकता है, प्राधिकरण के लेखाओं की लेखा परीक्षा की जाएगी।

प्राधिकरण व्यवसाय के सिद्धांतों पर काम करेगा

21. प्राधिकरण का यह सामान्य सिद्धांत होगी कि अपने उपक्रम के संचालन में यह व्यवसाय के सिद्धांतों पर काम करेगा।

प्राधिकरण का अधिक्रमण

22. **(1)** जारी किए जाने के लिए प्रस्तावित आदेश के विरूद्ध कारण बताने के लिए ऐसे प्राधिकरण को तर्कसंगत अवसर प्रदान करने तथा ऐसे प्राधिकरण की आपत्ति, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किसी आदेश द्वारा राज्य सरकार ऐसी अवधि के लिए प्राधिकरण का अधिक्रमण कर सकती है जो आदेश में निर्धारित की जा सकती है।

(2) उपधारा (1) के तहत आदेश के प्रकाशन पर –

(क) प्राधिकरण के सभी सदस्य अधिक्रमण की तिथि से ऐसे सदस्य के रूप में अपने पदों को खाली कर देंगे;

(ख) अधिक्रमण की अवधि के दौरान इस अधिनियम के प्रावधानों या उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत या द्वारा प्राधिकरण द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली सभी शक्तियों तथा संपन्न किए जाने वाले कार्यों का निर्वहन एवं प्रयोग ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसे राज्य सरकार निर्देश दे सकती है;

(ग) अधिक्रमण की अवधि के दौरान प्राधिकरण में निहित सभी संपत्तियां राज्य सरकार में निहित होंगी।

(3) उपधारा (1) के तहत जारी किए गए आदेश में अधिक्रमण की निर्धारित अवधि के समाप्त हो जाने पर राज्य सरकार –

(क) अधिक्रमण की अवधि ऐसी अगली अवधि के लिए बढ़ा सकती है जिसे यह उपयुक्त समझे, या;

(ख) प्राधिकरण के गठन के लिए इस अधिनियम में निर्धारित ढंग से प्राधिकरण का पुनर्गठन कर सकती है।

प्राधिकरण का अपाकरण

23. कंपनियों या निगमों को बंद करने से संबंधित किसी कानून का कोई प्रावधान प्राधिकरण पर लागू नहीं होगा तथा राज्य सरकार के आदेश को छोड़कर तथा राज्य सरकार द्वारा निदेश दिए गए ढंग को छोड़कर प्राधिकरण को अपाकरण में नहीं रखा जाएगा।

देय रकम की वसूली

24. प्राधिकरण को देय किसी रकम की वसूली बंगाल सार्वजनिक मांग वसूली अधिनियम, 1913 के तहत भूमि राजस्व के एरियर के रूप में की जा सकती है।

अध्याय-6
विद्युत का उत्पादन एवं आपूर्ति

विद्युत का उत्पादन एवं आपूर्ति

25. (1) इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन विशेष आर्थिक क्षेत्र में विद्युत का उत्पादन, वितरण या पारेषण विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों द्वारा अभिशासित होगा।

(2) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 2 के खंड 17 में यथा परिभाषित वितरण लाइसेंस धारक संबंधित विशेष आर्थिक क्षेत्र उपभोक्ताओं के लिए उत्तम कोटि की बिजली की आपूर्ति का सुनिश्चय करेगा।

(3) विकासक या विकासक द्वारा प्रमोट की गई संयुक्त उद्यम कंपनियां या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम स्वतंत्र विद्युत उत्पादक के रूप में काम कर सकते हैं जो विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए उत्पद्दन, पारेषण एवं वितरण सहित विशेष आर्थिक क्षेत्र में विद्युत की आपूर्ति के लिए समर्पित प्रावधान स्थापित कर सकते हैं।

(4) विशेष आर्थिक क्षेत्र के अंदर विद्युत वितरण के लिए टैरिफ का निर्धारण विद्युत अधिनियम, 2003 द्वारा अभिशासित होगा।

(5) विशेष आर्थिक क्षेत्र में औद्योगिक यूनिट तथा अन्य स्थापनाएं कैप्टिव प्रयोग के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 प्रावधान के अनुसार अपने स्वयं के विद्युत संयंत्र स्थापित कर सकती हैं।

(6) विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थापित किए जाने वाले सभी उद्योगों तथा अन्य स्थापनाओं के संबंध में अवधि संबंधी किसी प्रतिबंध के बगैर विद्युत शुल्क पूर्णत: माफ होगा।

अध्याय-7
पर्यावरण से संबंधित मुद्दे

पर्यावरणीय स्वीकृतियां आदि

26. (1) पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (इसके बाद यहां आगे बोर्ड कहा गया है) द्वारा शक्तियों का प्रत्यायोजन होने पर विकास आयुक्त ऐसी शर्तों एवं नियमों के तहत जो बोर्ड द्वारा समय – समय तय किए जा सकते हैं, विशेष आर्थिक क्षेत्र में यूनिटें एवं गतिविधियां स्थापित एवं प्रचालित करने के लिए जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974; वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत निर्धारित ढंग से स्वीकृति एवं सहमति प्रदान कर सकता है।

(2) बोर्ड उपर्युक्त कार्यों के निर्वहन में विकास आयुक्त को सहायता प्रदान करेगा जिसमें विकास आयुक्त के प्रशासनिक नियंत्रण में तकनीकी कार्मिकों को तैनात करना शामिल है।

(3) अनुसूची में उल्लिखित किसी परियोजना का संचालन करने या संचालन करने का इरादा रखने वाली यूनिटें पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेंगी। यदि केंद्र सरकार ऐसी पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की शक्ति राज्य सरकार को या विकास आयुक्त को प्रत्यायोजित करती है, तो विकास आयुक्त ऐसी स्वीकृति प्रदान कर सकता है।

(4) प्रत्येक यूनिट निर्धारित फार्मेट में विकास आयुक्त को तिमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी जिसमें इस बात की पुष्टि होगी कि ऐसी यूनिट पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित आवश्यकताओं एवं प्रतिबंधों का पालन कर रही है।

(5) विकास आयुक्त के अनुमोदन से बोर्ड द्वारा प्रतिनियुक्त किया गया प्राधिकृत अधिकारी जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974; वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इसके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के तहत यथा अपेक्षित पर्यावरणीय मानकों के अनुपालन का सत्यापन करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र में यूनिटों का निरीक्षण कर सकता है।

अध्याय-8
राज्य करों, शुल्कों, उपकर तथा लेवी से छूट

करों, शुल्कों, उपकर तथा लेवी से छूट

27. (1) विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकासक या इसमें स्थित यूनिटों को निर्धारित ढंग से किसी राज्य कानून के प्रावधानों के तहत निम्नलिखित के लिए किसी कर, ड्यूटी, शुल्क, उपकर या किसी अन्य लेवी के भुगतान से छूट प्राप्त होगी, अर्थात –

(क) विशेष आर्थिक क्षेत्र के बाहर निर्यातित या विशेष आर्थिक क्षेत्र में आयातित कोई माल;

(ख) विशेष आर्थिक क्षेत्र के अंदर माल का अंतर यूनिट लेन-देन;

(ग) विशेष आर्थिक क्षेत्र के अंदर माल का लेन-देन;

(घ) विशेष आर्थिक क्षेत्र से घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र को मूल्यवृद्धि के लिए भेजा गया तथा इसके बाद एसईजेड में वापस आया माल; या

(ङ) सेवाएं जो विशेष आर्थिक क्षेत्र के अंदर किसी उत्पाद को मूल्यवृद्धि प्रदान करती हैं।

परंतु यह कि घरेलू क्षेत्र के अंदर उपभोग के लिए आयातित माल को घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र के अंदर किसी अन्य आयात के समान समझा जाएगा तथा उस पर सामान्य ड्यूटी, कर, शुल्क, उपकर या कोई अन्य लेवी लगेगी।

(2) विशेष आर्थिक क्षेत्र के अंदर अचल संपत्ति या इससे संबंधित दस्तावेजों के सभी लेन-देन एवं अंतरण को स्टांप शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क से छूट प्राप्त होगी।

अध्याय-9
विविध

औद्योगिक टाउनशिप के रूप में विशेष आर्थिक क्षेत्र की घोषणा

28. (1) प्रदान की जाने वाली विशेष आर्थिक एवं नगरपालिका सेवाओं के क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए राज्यपाल अधिसूचना द्वारा ऐसे विशेष आर्थिक क्षेत्र को पश्चिम बंगाल नगरनिगम अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के अनुसरण में औद्योगिक टाउनशिप के रूप में घोषित कर सकते हैं तथा ऐसी घोषणा पर पश्चिम बंगाल नगरनिगम अधिनियम, 1993 के प्रावधान ऐसे आनुषंगिक एवं परिणामी संशोधनों के साथ लागू होंगे जिसे राज्य सरकार ऐसी अधिसूचना में निर्दिष्ट कर सकती है।

(2) पश्चिम बंगाल नगरनिगम अधिनियम, 1993 की धारा 385 (ख) की उपधारा (1) के खंड (ख) में किसी बात के निहित होते हुए भी उपधारा (1) के तहत इस प्रकार घोषित प्रत्येक औद्योगिक टाउनशिप में संबंधित प्राधिकरण पश्चिम बंगाल नगरनिगम अधिनियम, 1993 में उल्लेख के अनुसार औद्योगिक टाउनशिप प्राधिकरण के कार्यों का भी निर्वहन करेगा।

(3) ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन पर पश्चिम बंगाल नगर एवं देहात आयोजना एवं विकास अधिनियम, 1979 तथा इसके तहत बनाए गए नियमों, विनियमों, अधिसूचनाओं, यदि कोई हो, के प्रावधान विशेष आर्थिक क्षेत्र के क्षेत्र में लागू नहीं होंगे।

यूनिटें पब्लिक यूटिलिटी सर्विस होंगी

29. विशेष आर्थिक क्षेत्र में यूनिटें औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के रूप में घोषित की जाएंगी।

अधिनियम का अधिभावी प्रभाव

30. उस समय लागू किसी अन्य राज्य कानून में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी इस अधिनियम तथा इसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधान लागू होंगे।

सदाशयता में किए गए कार्य का संरक्षण

31. किसी व्यक्ति के विरूद्ध ऐसे किसी कार्य के लिए कोई वाद, अभियोजन या कानूनी कार्यवाही निहित नहीं होगी जो सदाशयता में किया जाता है या इस अधिनियम अथवा इसके तहत बनाए गए किसी नियम या विनियम के तहत किए जाने के लिए आशयित है।

राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति

32. (1) अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) विशेष रूप से तथा पूववर्ती शक्तियों की सामान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव के बगैर ऐसे नियम निम्नलिखित मामलों में से सभी या किसी के लिए प्रावधान कर सकते हैं।

प्राधिकरण की विनियम बनाने की शक्ति

33. प्राधिकरण राज्य सरकार के परामर्श से इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए ऐसे विनियम बना सकता है जो इस अधिनियम तथा इसके तहत बनाई गई नियमावली से असंगत नहीं होंगे।

प्रावधानों का उल्लंघन अपराध होगा

34. किसी लाइसेंस, अनुज्ञप्ति, पंजीकरण, छूट या किसी अन्य शर्त एवं नियम के संदर्भ में किसी यूनिट के कामकाज के संदर्भ में किसी कानून में निहित किसी प्रावधान का उल्लंघन उक्त कानून के तहत अपराध होगा और उक्त कानूनों के संगत प्रावधानों के तहत दंडनीय होगा।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

35. यदि इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो आदेश जो इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत नहीं होगा, द्वारा राज्य सरकार कठिनाई को दूर कर सकती है।

परंतु यह कि इस अधिनियम के लागू होने की तिथि से 3 साल बीत जाने के बाद ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया जाएगा।

अनुसूची

(धारा 26 की उपधारा (3) देखें)

ऐसी परियोजनाओं की सूची जिनके लिए केंद्र सरकार से पर्यावरणीय स्वीकृतियां अपेक्षित हैं

1	परमाणु विद्युत तथा संबद्ध परियोजनाएं जैसे कि हैवी वाटर प्लांट, परमाणु ईंधन परिसर, दुर्लभ मिट्टी
2	नदी घाटी परियोजनाएं जिसमें हाइडल पावर, बड़ी सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण सहित उनका संयोजन शामिल है
3	बंदरगाह, हार्बर, एयरपोर्ट (छोटे पोर्ट और हार्बर को छोड़कर)
4	क्रूड और प्रोडक्ट पाइप लाइन सहित पेट्रोलियम रिफाइनरी
5	केमिकल फर्टिलाइजर (एकल सुपर फास्फेट से भिन्न नाइट्रोजन एवं फास्फोरस युक्त)
	पेस्टीसाइड (तकनीकी)
6	पेट्रो केमिकल कॉम्प्लेक्स (ओल फिनिक तथा एरोमेटिक दोनों) तथा पेट्रो केमिकल इंटरमीडिएट जैसे कि डीएमटी, कैस्ट्रोलटम, एलएबी आदि तथा बेसिक प्लास्टिक जैसे कि एलडीपीई, एचडीपीपी, पीपी, पीवीसी का उत्पादन
7	बल्क ड्रग एवं फार्मास्यूटिकल
8	तेल एवं गैस के लिए अन्वेषण एवं उनका उत्पादन, परिवहन एवं भंडारण
9	सिंथेटिक रबर
10	एसबेस्टस तथा एसबेस्टम के उत्पाद
11	हाइड्रोसेनिक एसिड तथा इसके डेरिवेटिव
12	(क) प्राथमिक धातु उद्योग जैसे कि आयरन एवं स्टील, कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक, लीड तथा फेरो एलाय का उत्पादन (ख) इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस (मिनी स्टील प्लांट)
13	क्लोरो अल्काली उद्योग
14	पेंट के विनिर्माण में अपेक्षित रेजिन एवं बुनियादी कच्चे माल का निर्माण सहित एकीकृत पेंट कॉम्प्लेक्स
15	विस्कोस स्टेपल फाइबर और फिलामेंट यार्न
16	लीड ऑक्साइड तथा लीड एंटीमनी अलाय के निर्माण के साथ एकीकृत स्टोरेज बैटरी
17	5 करोड़ रुपए से अधिक निवेश वाली 200 मीटर से 500 मीटर की हाई टाइड लाइन पर तथा 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले स्थान पर स्थित सभी पर्यटन परियोजनाएं
18	थर्मल पावर प्लांट,
19	5 हेक्टेयर से अधिक पट्टा के साथ खनन परियोजनाएं (प्रमुख खनिज)
20	हाइवे परियोजनाएं
21	हिमालय और/या वन क्षेत्र में तारकोल की सड़कें
22	डिस्टलरी
23	कच्ची त्वचा एवं खाल
24	पल्प, पेपर एवं न्यूज प्रिंट
25	डाई
26	सीमेंट
27	फाउंड्री (व्यक्तिगत)

28	**इलेक्ट्रोप्लेटिंग**